2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	26.7.19 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष अभिभाषकगण उपस्थित। वादीगण का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया शामिल रहे। खाता विभाजन स्टाम्प शुल्क तकमीलन शामिल किया जाकर फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	 देवीलाल जिरह नहीं करना चाहते। प्रतिवादीगण की साक्ष्य नहीं करवाना चाहते हैं। 19/7/19

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी(राजस्व)हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी का नामः—कपिल कुमार,यादव (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्याः—167 / 2019

1.कृष्ण लाल 2.नरसीराम पि. चेतराम जाति जाट निवासी चक 1 एल के तहसील व जिला हनुमानगढ।

————वादीगण

बनाम

1.रेशमादेवी पत्नी श्री चेतराम पुत्री चेतनराम 2.देवीलाल 3.गोपीराम पि.चेतराम समस्त जाति जाट निवासी 1 एल के तहसील व जिला हनुमानगढ 4. शारदा पत्नी भागीरथ पुत्री चेतराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील राणिया जिला सिरसा (हरि.) 5.तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

————प्रतिवादीगण

उपस्थितः—
1.श्री रामकुमार सहारण, एडवोकेट—वादीगण।
2.श्री जे.पी.बेनीवाल, एडवोकेट—प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 ,88 आर.टी.ए.

दिनांकः— 26.7.2019

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादीया संख्या 1 रेशमादेवी के नाम से चक 1 एल के तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 29/26 में कुल 6.728 हैक्टर कृषि भूमि कमाण्ड व अनकमाण्ड दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विवादित भूमि सुलतानपुरिया तहसील राणिया जिला सिरसा की 6.10 बीधा भूमि का बेचान करने से खरीद की हुई है जो वादी के पिता को विरास्तन प्राप्त हुई थी। इस कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का बराबर हक व अधिकार है। इस कृषि भूमि में से वादीगण ने अपने हिस्सा की भूमि नाम करवाने के लिए कहा तो उसने इन्कार कर दिया। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बराबर का हक—हिस्सा है परन्तु करीब 2 वर्ष पूर्व प्रतिवादीया संख्या 4 ने इस कृषि भूमि में अपना हिस्सा नही लेने का कथन कर अपना हक का परित्याग कर दिया व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकार दे दिया। विवादित भूमि विरास्तन आराजी से खरीद होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा बनता है। विवादित आराजी वादीगण के नाम से नही होने के कारण वादीगण को किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने व अन्य सरकारी योजनाओ का फायदा नही मिल रहा है। इससे वादीगण को भारी अपरिमेय क्षति व नुकसान हो रहा है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी का विभाजन नही होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य सींव बट को लेकर विवाद रहता है तथा सिंचाई पानी को लेकर भी विवाद रहता है। इससे वादीगण को भारी असुविधा होती है। इस लिए वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि घरेलू बंटवारा अनुसार उसे खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड में खाता अलग कायम किया जावे तो वह इन्कार हो गयी। यही वाद कारण है।

अतः वादी की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण का 1/5 हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में भूमि अच्छी—मन्दी के हिसाब से दर्ज कर अलग खाता कायम किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने दिनांक 10.7.2019 को हाजिर आकर राजीनामा पेश किया जो बाद

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 की और से जवाब स्टेट पेश किया गया जिसमें राज्यहित को सुरक्षित रखते हुऐ वादीगण का वाद पत्र डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की गई है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के पक्ष में तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी चक 1 एल के सालम खाता रेशमादेवी खाता संख्या 29/26 ज.स. 2072–2075 किये व साक्ष्य वादी में कृष्णलाल व नरसीराम का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा कोई जिरह नही की गई व साक्ष्य पेश नही किये गये। वाद पत्र को कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही किये गये।

उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। वादी अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा हो चुका है तथा उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मुताबिक राजीनामा घराघरू बंटवारा कृषि भूमि प्राप्त कर रहे है और उसी अनुरूप काबिज होकर काश्त कर रहे है। मौका पर कब्जा काश्त के सम्बंध में कोई विवाद नही है। प्रतिवादीया संख्या 5 ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में हक परित्याग कर दिया है। वादीगण की और साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गये है। वाद पत्र का कोई विरोध नही है। मुताबिक राजीनामा कब्जा काश्त घरू बंटवारा अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 खातेदार काश्तकार विवादित आराजी घोषित कर राजस्व रिकार्ड में खाता अलग–अलग कायम करने का आदेश पारित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अभिभाषक द्वारा वादीगण अभिभाषक के कथनो का विरोध नही किया गया व राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री करने पर सहमति दी।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 प्रतिवादीया संख्या 1 के पुत्रगण एवं पुत्री है। विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी चक 1 एल के तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 29/26 प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से विवादित आराजी रेशमादेवी के नाम से कुल 6.728 हैक्टर दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी को वाद पत्र में विरास्तन आराजी के बेचान से खरीद होना बताते हुऐ पैतृक बताया है जिसके शपथ पत्र व राजीनामा पेश किया है जिसका कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। प्रतिवादीया संख्या 4 ने राजीनामा पर हस्ताक्षर कर अपना हक परित्याग करने की पुष्टि कर दी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा विवादित आराजी कृषि भूमि प्राप्त कर रहे है। इस प्रकार वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। मुताबिक राजीनाम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 कृषि भूमि प्राप्त कर रहे है उक्तानुसार ही वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

(1)वादी संख्या 1 कृष्णलाल के हक हिस्सा आराजी:–

जमाबंदी चक 1 एल के तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 29/26 संवत 2072 से 2075 पत्थर नम्बर 159/366(17) किला नम्बर 6/0.142, 7/0.092, 8/0.092, 9/0.092, 10/0.073, 11/0.215, 12/0.253, 13/0.253, 14/0.242, 15/0.242, 18/0.089, 19/0.090, 20/0.077 पत्थर नम्बर 159/365(10)किला नम्बर 16/0.013 कुल तादादी 1.965 हैक्टर यानि 7.15 बीधा कमाण्ड एवं अनकमाण्ड।

(2)वादी संख्या 2 नरसीराम के हक हिस्सा आराजी:–

जमाबंदी चक 1 एल के तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 29/26 संवत 2072 से 2075 के पत्थर नम्बर 159/365 (10) किला नम्बर 14/2 में 0.126, 15/0.177, 16/0.240, 17/0.240, 22/0.190, 23/0.253, 24/0.253, 25/0.152, पत्थर नम्बर 159/366 (17) किला नम्बर 5/0.077 कुल तादादी 1.708 हैक्टर यानि 6.15 बीधा कमाण्ड एवं अनकमाण्ड।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(3) प्रतिवादी संख्या संख्या 2 देवीलाल के हक हिस्सा आराजीः–

जमाबंदी चक 1 एल के तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 29/26 संवत 2072 से 2075 के पत्थर नम्बर 159/366 (17) किला नम्बर 1/0.073, 2/0.092, 3/0.092, 4/0.092, 5/0.058, 6/0.111, 7/0.161, 8/0.161, 9/0.161, 10/0.129, 23/0.179, 24/0.253, पत्थर नम्बर 159/365 (10) किला नम्बर 15/0.013 कुल तादादी 1.575 हैक्टर यानि 6.05 बीधा कमाण्ड एवं अनकमाण्ड।

(4) प्रतिवादी संख्या संख्या 3 गोपीराम के हक हिस्सा आराजीः–

जमाबंदी चक 1 एल के तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 29/26 संवत 2072 से 2075 के पत्थर नम्बर 159/366 (17) किला नम्बर 1/0.129, 2/0.161, 3/0.161, 4/0.161, 5/0.118, 14/0.011, 15/0.011, 16/0.253, 17/0.253, 18/0.121 पत्थर नम्बर 159/365 (10) किला नम्बर 25/0.101 कुल तादादी 1.480 हैक्टर यानि 5.17 बीधा कमाण्ड एवं अनकमाण्ड।

राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे व वादग्रस्त आराजी वादीगण 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज कर अलग–अलग खाता कायम किया जावे। यदि प्रशनगत रकबा पर बैक ऋण है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर ही अमल दरामद किया जावे। खाता विभाजन स्टाम्प डयूटी 200 रूपये तकमीलन शामिल पत्रावली किये जावे। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दप्तर की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 26.7.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ ।

पीठासीन अधिकारीः– कपिल कुमार,यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्याः–167/2019

1.कृष्ण लाल 2.नरसीराम पि. चेतराम जाति जाट निवासी चक 1 एल के तहसील व जिला हनुमानगढ।

–––––वादीगण

बनाम

1.रेशमादेवी पत्नी श्री चेतराम पुत्री चेतनराम 2.देवीलाल 3.गोपीराम पि.चेतराम समस्त जाति जाट निवासी 1 एल के तहसील व जिला हनुमानगढ 4. शारदा पत्नी भागीरथ पुत्री चेतराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील राणिया जिला सिरसा (हरि.) 5.तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

–––––प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीए

दिनांकः– 26.7.19

पर्चा डिक्री

वादीगण की ओर से श्री रामकुमार सहारण,एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की और से श्री जे0पी0 बैनीवाल,एडवोकेट की उपस्थिति में वाद मेरे समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनाम डिकी किया जाता है। मुताबिक राजीनाम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 कृषि भूमि प्राप्त कर रहे है उक्तानुसार ही वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

(1)वादी संख्या 1 कृष्णलाल के हक हिस्सा आराजीः–

जमाबंदी चक 1 एल के तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 29/26 संवत 2072 से 2075 पत्थर नम्बर 159/366(17) किला नम्बर 6/0.142, 7/0.092, 8/0.092, 9/0.092, 10/0.073, 11/0.215, 12/0.253, 13/0.253, 14/0.242, 15/0.242, 18/0.089, 19/0.090, 20/0.077 पत्थर नम्बर 159/365(10)किला नम्बर 16/0.013 कुल तादादी 1.965 हैक्टर यानि 7.15 बीधा कमाण्ड एवं अनकमाण्ड।

(2)वादी संख्या 2 नरसीराम के हक हिस्सा आराजीः–

जमाबंदी चक 1 एल के तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 29/26 संवत 2072 से 2075 के पत्थर नम्बर 159/365 (10) किला नम्बर 14/2 में 0.126, 15/0.177, 16/0.240, 17/0.240, 22/0.190, 23/0.253, 24/0.253, 25/0.152, पत्थर नम्बर 159/366 (17) किला नम्बर 5/0.077 कुल तादादी 1.708 हैक्टर यानि 6.15 बीधा कमाण्ड एवं अनकमाण्ड।

(3) प्रतिवादी संख्या संख्या 2 देवीलाल के हक हिस्सा आराजीः–

जमाबंदी चक 1 एल के तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 29/26 संवत 2072 से 2075 के पत्थर नम्बर 159/366 (17) किला नम्बर 1/0.073, 2/0.092, 3/0.092, 4/0.092, 5/0.058, 6/0.111, 7/0.161, 8/0.161, 9/0.161, 10/0.129, 23/0.179, 24/0.253, पत्थर नम्बर 159/365 (10) किला नम्बर 15/0.013 कुल तादादी 1.575 हैक्टर यानि 6.05 बीधा कमाण्ड एवं अनकमाण्ड।

(4) प्रतिवादी संख्या संख्या 3 गोपीराम के हक हिस्सा आराजीः–

जमाबंदी चक 1 एल के तहसील हनुमानगढ खाता संख्या 29/26 संवत 2072 से 2075 के पत्थर नम्बर 159/366 (17) किला नम्बर 1/0.129, 2/0.161, 3/0.161, 4/0.161, 5/0.118,

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

14/0.011, 15/0.011, 16/0.253, 17/0.253, 18/0.121 पत्थर नम्बर 159/365 (10) किला नम्बर 25/0.101 कुल तादादी 1.480 हैक्टर यानि 5.17 बीधा कमाण्ड एवं अनकमाण्ड।

राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीया संख्या 1 रेशमीदेवी का नाम कलमजन किया जावे व वादग्रस्त आराजी वादीगण 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज कर अलग–अलग खाता कायम किया जावे। यदि प्रशनगत रकबा पर बैक ऋण है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर ही अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करेगे।

यह डिक्री आज दिनांक 26.7.2019 मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.23 12:57:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: